



पत्रांक : एफ 4 ()आकाशि /नि. सं./ 2020/ 243

दिनांक: 19 मई 2020


सचिव, प्रबंध समिति / प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
समस्त राजस्थान

विषय : निजी संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु भू-रूपांतरण दस्तावेज जमा करने संबंधी शपथ पत्र के प्रारूप के क्रम में ।

महोदय


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है की ऐसी निजी संस्थाएँ जिनकी स्वयं के नाम पंजीकृत भूमि तो है किन्तु उसका शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-रूपांतरण नहीं हुआ है, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धित कार्यालय/निकाय में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण हेतु जमा करवाये गये आवेदन का प्रक्रियाधीन होने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का शपथ पत्र (संलग्न) प्रस्तुत करना होगा । इसके अभाव में उसके आवेदन पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा ।

संलग्न : शपथ पत्र का प्रारूप


बी. एल. गोयल
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :

1. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु
2. रक्षित पत्रावली


डॉ. अल्पना व्यास
संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएं
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान

अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु
भू-रूपान्तरण दस्तावेज जमा करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैंपुत्र श्रीउम्रनिवासी.....जिला.....
हाल सचिवशपथपूर्वक बयान करता हूँ कि-

1. यह कि (महाविद्यालय का नाम) के संचालन हेतु (संस्था का नाम) द्वारा सम्बन्धित निकाय में पंजीकृत भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु दस्तावेज जमा करा दिये हैं तथा पत्रावली सम्बन्धित निकाय में प्रक्रियाधीन है।
2. आदेश की प्रति प्राप्त होने पर उसकी प्रति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में जमा करवा दी जायेगी।
3. भू-रूपान्तरण हेतु निर्धारित समस्त सुरक्षा मापदण्डों की पालना कर दी गई है।
4. संस्था की भूमि पर जहां महाविद्यालय संचालित है, उस पर बिजली की हाई टेंशन लाईन (HTL) नहीं गुजरती है।
5. संस्था की भूमि ' इकोलॉजिकल जोन ' में अवस्थित नहीं है।
6. संस्था द्वारा सम्बन्धित निकाय के ' Building By-Laws ' की शर्त प्रतिशत पालना की गई।

मैं सचिव शिक्षण संस्था.....यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 6 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं सत्यनिष्ठा में पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। इसमें न तो कोई तथ्य गलत है न कोई तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर

स्थान -

दिनांक-

नोट- उक्त शपथ पत्र 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए।